झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका संख्या **2666/2017**

1. श्रीमती संजू राणा उर्फ संजू देवी, पति- दीपक कुमार राणा

2. प्राची राणा, आयु-9 वर्ष, पिता- दीपक कुमार राणा

3. परी राणा, आयु-3 वर्ष, पिता- दीपक कुमार राणा, दोनों नाबालिगों ने अपनी मां, श्रीमती के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।

संजू राणा, सभी वार्ड संख्या 6, काली मंदिर रोड, डाकघर एवं थाना.-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसवान, झारखंड, के निवासी हैं। वर्तमान में अपने पिता के साथ कागल नगर, टेंपो स्टैंड के पास, मेन रोड, सोनारी, डाकघर एवं थाना.-सोनारी, जमशेदपुर, झारखंड में रहती हैं।

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. दीपक कुमार राणा, पिता- श्री रजत कुमार राणा, निवासी, वार्ड नंबर 6, काली मंदिर रोड, डाकघर एवं थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसवां, झारखंड

3. सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जमशेदपुर, डाकघर एवं थाना-जमशेदपुर, जिला-पश्चिम सिंहभूम, झारखंड।

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए:श्री ए. के. दुबे, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिएः श्री शशांक सौरव, ए. सी. से जी. पी. III।

श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

श्री ओ. पी. तिवारी, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों की बात सुनी।

2. यह रिट याचिका 25.02.2017 को लोक अदालत, बेंच 1, जमशेदपुर द्वारा विविध मामला संख्या. 131/2016 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। इस आदेश के तहत, लोक अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर याचिका को गलत और गलत आधार पर खारिज कर दिया कि मामला परिवार न्यायालय, जमशेदपुर से लोक अदालत में भेजे जाने के बाद पक्षों के बीच निपट गया है, जबकि याचिका दाता द्वारा मामले को वापस लेने की प्रार्थना की गई थी।

3. बी. पी. मोइदीन सेवामंदिर और अन्र बनाम ए. एम. कुट्टी हसन **2009** में **2** एस. सी. सी. **198** की रिपोर्ट, जिसमें से पैरा 8 निम्नानुसार हैः के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील ने, -

> *"8. जब किसी मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजा जाता है, तो उसके लिए दो मार्ग खुले होते हैं: (ए) यदि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता हो जाता है, तो ऐसे समझौते या समझौते को शामिल करते हुए एक निर्णय लेने के लिए (जिस पर जब पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और लोक अदालत के सदस्यों द्वारा जवाबी हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो एक डिक्री का बल होता है); या (बी) यदि कोई समझौता या समझौता नहीं होता है, तो अदालत को विफलता रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड वापस करना।लोक अदालत द्वारा कोई तीसरा संकर आदेश नहीं हो सकता है जिसमें अंतिम निर्णय के माध्यम से पक्षों को निर्देश दिए गए हों, जिसमें पक्षों को इस तरह के निर्देशों के संदर्भ में मामले को निपटाने का निर्देश दिया गया हो। वास्तव में, जब कोई समझौता नहीं होता है तो कोई "पुरस्कार" नहीं हो सकता है। न ही लोक अदालत द्वारा पक्षों के अधिकारों/दायित्वों/शीर्षक का निर्धारण करने के लिए कोई "निर्देश" हो सकते हैं, जब कोई समझौता नहीं होता है। समझौता पुरस्कार से पहले होना चाहिए न कि इसके विपरीत।*

प्रस्तुत किया कि लोक अदालत के लिए दो मार्ग खुले हैं (ए) यदि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता हो जाता है, तो एक पुरस्कार देने के लिए (बी) यदि कोई समझौता या समझौता नहीं होता है, तो अदालत को विफलता रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड वापस करने के लिए और कोई तीसरा आदेश नहीं हो सकता है।इस प्रभाव के लिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील पुनः पंजाब राज्य और ए. एन. आर. बनाम जालौर सिंह और अन्य **(2008) 2** एस. सी. सी. **660**में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसका पैरा 8 निम्नानुसार हैः –

"8. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि लोक अदालतों का कोई न्यायिक या न्यायिक कार्य नहीं है। उनके कार्य विशुद्ध रूप से सुलह से संबंधित हैं। एक लोक अदालत पक्षकारों के बीच एक समझौते या समझौते के आधार पर एक संदर्भ निर्धारित करती है, और समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देकर अपनी पुष्टि की मुहर लगाती है।जब लोक अदालत किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में सक्षम नहीं होती है, तो कोई निर्णय नहीं दिया जाता है और मामले का रिकॉर्ड उस अदालत को वापस कर दिया जाता है जिससे संदर्भ प्राप्त हुआ था, कानून के अनुसार निपटान के लिए। अदालत की तरह किसी भी लोक अदालत के पास मामलों में निर्णय लेने के लिए पक्षों को "सुनने" की शक्ति नहीं है। यह पक्षों के साथ विषय-वस्तु पर चर्चा करता है और उन्हें एक न्यायपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए राजी करता है।अपनी सुलहकारी भूमिका में, लोक अदालतें न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होती हैं। जब एल. एस. ए. अधिनियम लोक अदालत द्वारा "निर्धारण" और लोक अदालत द्वारा "निर्णय" का उल्लेख करता है, तो उक्त अधिनियम न तो न्यायिक निर्धारण पर विचार करता है और न ही न्यायिक निर्धारण की आवश्यकता है, बल्कि लोक अदालत के मार्गदर्शन और सहायता के साथ पक्षों द्वारा किए गए समझौते या समझौते के आधार पर एक गैर-न्यायिक निर्धारण है।लोक अदालत के "निर्णय" का मतलब किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कोई स्वतंत्र निर्णय या राय नहीं है। पुरस्कार देना केवल लोक अदालत की उपस्थिति में पक्षों द्वारा सहमत समझौते या समझौते की शर्तों को लोक अदालत के हस्ताक्षर और मुहर के तहत निष्पादन योग्य आदेश के रूप में शामिल करने का एक प्रशासनिक कार्य है।

और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता नं 1 को जमशेदपुर और सरायकेला की अदालतों में मुकदमे की श्रृंखला को लड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और प्रतिवादी नं2 उसे एक पैसा भी नहीं दे रहा है और उसकी दो नाबालिग बेटियों का पालन-पोषण नहीं कर रहा है,इस प्रकार, उन्होंने जमशेदपुर में अपने वकील को जमशेदपुर में रखरखाव के मामले को वापस लेने का निर्देश दिया, और उन्हें उनके वकील द्वारा सूचित किया गया कि उक्त विविध मामला संख्या. 131/2016 को वापस ले लिया गया थाऔर वह सरायकेला में एक नया मामला दायर करने के लिए स्वतंत्रतथी। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक अनपढ़ महिला है और वह कानून की पेचीदगियों को नहीं समझती है। याचिकाकर्ता नं. 1 ने विविध मामला संख्या 06/2017के माध्यम से सरायकेला में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव के लिए याचिका दायर की और उसके बाद ही, याचिकाकर्ता सं1 को यह पता चला कि जमशेदपुर में दायर रखरखाव के मामले को इस टिप्पणी के साथ वापस ले लिया गया है कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता ने कभी भी प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मामले का निपटारा नहीं किया है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लोक

अदालत, पीठ 1 द्वारा विविध मामला नं. 2016 का 131/2016 के सन्दर्भ में दिनांकित 25.02.2017 पारित आदेश रद्द कर दिया जाए और ख़ारिज कर दिया जाए।

4. प्रत्यर्थी नं.3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे का अवलोकन करने पर सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, जमशेदपुर ने पाया कि विविध मामले सं 131/2016 का किसी भी समझौते के संदर्भ में निपटारा नहीं किया गया था, बल्कि इसे वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था, हालांकि उनके जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी नं 2, ने दावा किया है कि एक समझौता हुआ था, लेकिन यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इस रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों द्वारा और उनके बीच कोई समझौता कब किया गया है और इस तरह के समझौते की अवधि क्या थी।

5. ऐसी परिस्थितियों में, इस अदालत का विचार है कि यह एक उत्कृष्ट मामला है, जिसमें परिवार की अदालत, जमशेदपुर, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कार्रवाई करने के बजाय गलत तरीके से केस नं. 131/2016वापस लेते हुए एक अवैधता को अंजाम दियाऔरपक्षकारों की सहमति या अनुरोध के बिना, मामले को लोक अदालत को संदर्भित करते हुए,लोक अदालत में मामलों के निपटान को बढ़ाने के लिए अत्यधिक उत्साह के कारण और पक्षकारों की उपस्थिति में लोक अदालत में कथित रूप से पारित निर्णय को दर्ज किए बिना, इसके समक्ष हो सकता है, और बिना किसी आधार के दिनांकित 25.02.2017 के विवादित आदेश में एक संदर्भ दिया गया है कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है। हालाँकि, समझौते की तारीख या समझौते के नियम और शर्तें, यदि कोई हों, का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि कानून के तय किए गए सिद्धांत को देखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, लोक अदालत बेंच नं 1, सिविल कोर्ट, जमशेदपुर में 25.02.2017को आयोजित लोक अदालत के जमशेदपुर ने एक गंभीर अवैधता और विकृति भी की है; यह उल्लेख करते हुए कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है।

7. निर्विवाद तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि याचिकाकर्ता वास्तव में उक्त विविध को वापस लेना चाहता था। केस नं. 2016 का 131 लेकिन समझौते के कारण नहीं बल्कि सरायकेला की अदालत में एक नया आवेदन दायर करने के लिए; दीवानी अदालत, जमशेदपुर में आयोजित लोक अदालत की पीठ संख्या 1 द्वारा दिनांकित 25.02.2017 का आदेश, जिसमें यह संदर्भ है कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है, एक विकृत होने के कारण रद्द किया जा सकता है और अलग कर दिया जा सकता है।

8. तदनुसार, लोक अदालत, बेंच 1, जमशेदपुर द्वारा विविध मामला सं. 131/2016 में दिनांक 25.02.2017 को पारित किया गया उक्त आदेश रद्द कर दिया गया है और ख़ारिज कर दिया गया है और मामला सं. 131/2016परिवार न्यायालय, जमशेदपुर की फाइल में पुनर्स्थापित किया गया है; परिवार

न्यायालय, जमशेदपुर को याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न मामलों में वापस लेने के लिए दायर याचिका मामला सं. 131/2016 का निपटारा कानून के अनुसार करने का निर्देश दिया जाता है ।

9. इस रिट याचिका को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(न्यायमूर्तिअनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक, 25 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|